रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 460] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 1972/आश्विन 28, 1894

No. 460] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 1972/ASVINA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

SECRE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October 1972

S.O. 676(E).—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/72-1, dated the 1st February, 1972, published in an extraordinary issue of the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 2nd February, 1972, namely:—

In Table III,—

against the entry '15. Orissa' for the entries "(9) Pot and (10) Elephant", the entries "(9) Pot, (10) Elephant and (11) Drum" shall be substituted.

[No. 56/72-X.]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1972

का० आ० 676(अ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण अंक भाग II खण्ड 3 (ii), तारीख 2 फरवरी, 1972 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं० 56/72-I तारीख 1 फरवरी, 1972, में निम्नलिखित संशोधन करता है; अर्थात सारणी III में,—

'15. उड़ीसा' प्रविष्टि के सामने, "(9) कलश तथा (10) हाथी" प्रविष्टियों के स्थान पर, "(9) कलश, (10) हाथी तथा (11) नगाड़ा," प्रविष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 56/72-X]

बी नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972